बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

13 वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य मुकदमा नीति को प्रभावी एवं कारगर बनाने हेतु गठित बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के तहत किन्ही भी प्रतिनिधिस्वरूप/ आवेदक-कर्मचारी/ नागरिक के द्वारा न्यायालय में किये गये वाद के फैसले से अन्य सदृश कर्मियों/ नागरिकों को समकक्ष मामले में पुन: वाद हेतु विवश नहीं किये जाने का प्रावधान है। बावजूद इसके अधिकांश मामलों को व्यावहारिक एवं क्रियाशील तरीके से विभागीय स्तर पर नहीं सुलझाकर अन्य सदृश कर्मियों को न्यायालय जाने हेतु विवश किया जाता है जिससे अदालती बोझ भी बढ़ता है तथा राजकोषीय खर्च भी लाखों-करोड़ो में होता है।

वर्तमान सरकार के 'न्यायके साथ विकास' के दावे को भी विभागीय तंत्र की पक्षपाती सक्रियता से किसी वादी के पक्ष में न्याय निर्णय आने पर अन्य सदृश कर्मियों को संबंधित लाभ की प्राप्ति नहीं दी जाती है जबकि विपरीत न्याय निर्णय को सिर्फ वादी के लिए लागू नहीं कर अन्य कर्मियों/ नागरिकों पर भी लागू कर दी जाती है। विभागीय तंत्र के नकारात्मक रवैये एवं तिकड़मी तर्कों से एक ही मामले मं विविध विचारों/ तथ्यों के कारण किसी भी न्याय निर्णय का वास्तविक लाभ सदृश कर्मियों/ नागरिकों को नहीं मिल पाने से राज्य मुकदमा नीति, 2011 की सार्थकता मिथ्या सावित हो रही है।

अत: उक्त वर्णित नीति व उसके प्रावधान की अनदेखी एवं अनुपालनार्थ वैसे सभी आच्छादित मामलों/ मद्दों के निस्तारण के संदर्भ में मुख्यालय के सभी विभागों में अनुश्रवण कोषांग की स्थापना हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- संजीव कुमार सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-106/2018 – 592 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 15.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ विधि विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-20.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 15.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है और यहां पर गन्ना की उपज के लिए उपयुक्त जलवायु है। सैकड़ों वर्षों से किसान यहां गन्ना की खेती करते हैं और यह एक नकदी फसल है। प्रबंधन की कमी के कारण गन्ना मिल चिरंजीवी नहीं रह पा रहे हैं। इसके कई अन्य कारण भी हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कुप्रभाव यह होता है कि किसानों को गन्ना उत्पादन का उचित मूल्य समय पर नहीं मिल पाता है। चीनी मिल प्रबंधक और किसानों के बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंध ही रहता है। दूसरी ओर, गुजरात एवं महाराष्ट्र में सहकारिता के माध्यम से चीनी मिल चलाया जाता है और वहा पर व्यवस्थित प्रबंधन के कारण चीनी उत्पादन में कोई परेशानी नहीं है। यदि बिहार में भी गुजरात एवं महाराष्ट्र की तरह सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिल लगाया जाएगा तो इससे कई प्रकार की समस्याएं आसानी से खत्म हो जाएंगी।

अत: सहकारिता के माध्यम से बिहार में चीनी मिल लगाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-107/2018 – 593 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 15.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गन्ना उद्योग विभाग,बिहार/ सहकारिता विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-20.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 15.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार राज्य सुलभ शौचालय अथवा सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सरकारी भूमि पर सरकारी लागत से शौचालय का निर्माण कर अलग-अलग शौचालय कम्प्लेक्स को ऊंची राशि पर बंदोवस्त कर करोड़ों-करोड़ रूपये प्रतिवर्ष आमदनी की जा रही है और इस कमाई का अंश भी राज्य सरकार को नहीं दे रही है। इस संदर्भ में राज्य सरकार का सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- राणा गंगेश्वर सिंह
ह./- शिव प्रसन्न यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-108/2018 – 594 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 15.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-20.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 15.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

बिहार विधान मंडल के माननीया महिला सदस्य जो विवाहित एवं अविवाहित है उनके माता पिता के ईलाज में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं दी जाती है।

अत: वैसे माननीया महिला सदस्य के आश्रित माता पिता के ईलाज में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- शिव प्रसन्न यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-104/2018 – 572 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 12.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ स्वास्थ्य विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-20.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 12.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार में आज भी कानू समाज के अधिसंख्य लोग अपने पारंपरिक पेशा कंसार के जरिये भूंजा भूंजकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे है। भूंजा भूंजने और बिहारी खान-पान की खास पहचान सत्तू निर्माण के लिए कंसार की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। पर आज तक गांव-गांव और शहरों में कंसार को न तो कुटीर उद्योग के रूप में मान्यता मिल पायी है, न ही इस पेशे से जुड़े लोगों के उत्थान की कोई प्रभावी कार्ययोजना बन पायी है। परिणास्वरूप बिहार के करीब चालीस लाख कानू समाज के लोग आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर हैं।

अत: मैं कंसार को कुटीर या लघु उद्योग का दर्जा देकर कानू समाज के आर्थिक उत्थान हेतु सरकारी सहायता के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- रजनीश कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-103/2018 – 571 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 12.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ उद्योग विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-20.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 12.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्